



Neutral Citation No. - 2026:AHC:31891

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - बी संख्या - 615 वर्ष 2026

डॉ. राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता

.....याची

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 16 अन्य

.....प्रत्यर्थीगण

याची के अधिवक्ता	: कृष्ण कांत द्विवेदी, प्रकाश मिश्रा
प्रत्यर्थीगण के अधिवक्ता	: सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 55

माननीय न्यायमूर्ति चन्द्र कुमार राय

1. याची के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य-प्रत्यर्थीगण की ओर से उपस्थित विद्वान स्थायी अधिवक्ता को सुना गया।

2. वर्तमान रिट याचिका निम्नलिखित राहत हेतु प्रस्तुत की गई है—

(i) एक रिट, आदेश अथवा निर्देश, परमादेश के स्वरूप में जारी कर प्रत्यर्थी संख्या 2 को निर्देशित/आदेशित किया जाए कि वह द्वितीय अपील संख्या 3470/2022 (राजेश एवं अन्य बनाम डॉ. राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता एवं अन्य), जो दिनांक 25.11.2022 से उसके समक्ष लंबित है, का निस्तारण इस माननीय न्यायालय द्वारा निर्धारित समय-सीमा के भीतर करे;

(ii) वाद की परिस्थितियों में इस माननीय न्यायालय द्वारा उपयुक्त एवं उचित समझा जाने वाला कोई अन्य आदेश अथवा निर्देश पारित किया जाए।

3. याची के विद्वान अधिवक्ता का निवेदन है कि निजी प्रत्यर्थी द्वारा दायर द्वितीय अपील, जिसमें याची को विपक्षी पक्षकार के रूप में पक्षकार बनाया गया है, दिनांक 25.11.2022 से उत्तर प्रदेश, प्रयागराज स्थित राजस्व परिषद के समक्ष लंबित है। यह भी निवेदन किया गया कि उक्त द्वितीय अपील, उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम की धारा 229-बी के अंतर्गत वाद से उत्पन्न हुई है तथा उसमें विधि के महत्वपूर्ण प्रश्न निर्धारित करते हुए

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



अपील को ग्रहण कर लिया गया है। आगे यह भी अवगत कराया गया कि विचारण न्यायालय एवं प्रथम अपीलीय न्यायालय के अभिलेख राजस्व परिषद को प्राप्त हो चुके हैं, तथापि अब तक उक्त अपील का निस्तारण नहीं किया गया है। अतः लंबित द्वितीय अपील के त्वरित निस्तारण हेतु उपयुक्त निर्देश पारित किए जाने की प्रार्थना की गई है।

4. प्रकरण के गुण-दोष पर कोई अभिमत व्यक्त किए बिना तथा वाद की समस्त परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए, प्रत्यर्थी संख्या 2/राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज को निर्देशित किया जाता है कि वह उपर्युक्त द्वितीय अपील का निस्तारण, पक्षकारों को समुचित सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए, विधि के अनुसार, यथाशीघ्र, अधिमानतः इस आदेश की प्रमाणित प्रति उसके समक्ष प्रस्तुत किए जाने की तिथि से तीन माह की अवधि के भीतर करे।

5. तदनुसार, रिट याचिका का अंतिम रूप से **निस्तारण** किया जाता है।

(न्यायमूर्ति चन्द्र कुमार राय)

दिनांक : 12 फरवरी 2026

रमीज

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”